	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 15, गुरूवार, *शाके* 1941–मार्च 05, 2020 *Phalguna 15, Thursday, Saka 1941–March 05, 2020*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 25, 2020

संख्या प.8 (ग)( )नियम/डीएलबी/18/40615 :-राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (2009 का राजस्थान अधिनियम संख्या 18) की धारा 107 (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार यह मत रखते हुए कि ऐसा करने की लिए समुचित कारण विद्यमान है, एतद्द्वारा नगर निगम जयपुर-ग्रेटर सीमा में स्थित पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन जयपुर की रिक्त भूमि को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 102 उप-धारा (1) के खण्ड (1) के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय नगरीय विकास कर के भुगतान से (इस भूमि का पूर्व से बकाया नगरीय विकास कर की डिमान्ड सहित) निम्नांकित शर्तो के साथ छूट प्रदान करती है:-

1. यदि पुष्पा जयपुरिया फाउन्डेशन द्वारा उक्त भूमि विक्रय की जाती है (न.वि.वि. के आदेश दिनांक 01.12.57 के परिपेक्ष्य में) तो उक्त भूमि के क्रेता को उपयोग अनुसार नगर निगम का नगरीय विकास कर देना होगा, तथा
2. पुष्पा जयपुरिया फाउन्डेशन द्वारा रिक्त भूमि पर वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है तो, उपयोग अनुसार नगरीय विकास कर देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

उज्जवल राठौड़,

निदेशक एवं संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।